प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 18.02.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 18.02.2026 को 02 अभियोगों में सजा करायी गयी है।

1. थाना सैफई

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को 08-08 वर्ष का कारावास व 18,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्तगणों को 08- 08 वर्ष का कारावास व 18,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना सैफई क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगणों द्वारा वादी व वादी के भाई को घेर कर गाली गलौज करना व वादी और उसके भाई के द्वारा जान बचाकर भागने पर अभियुक्तगणों द्वारा उनके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे वादी के भाई के पेट में गोली लग जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0-165/2018 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 हरिओम व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री शिव कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.02.2026 को अन्तर्गत धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्तगण को 08- 08 वर्ष का कारावास व 18,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधीगण-

1. **शिवराम उर्फ गुड्डू पुत्र नाथूराम निवासी नगला श्री थाना सैफई जनपद इटावा।**
2. **मुकेश पुत्र महेश चन्द्र निवासी नगला श्री थाना सैफई जनपद इटावा।**
3. **सनी पुत्र जगदीश निवासी नगला श्री थाना सैफई जनपद इटावा।**
4. **जगदीश सिह पुत्र नाथूराम निवासी नगला श्री थाना सैफई जनपद इटावा।**
5. **महेश चन्द्र पुत्र भूरे सिह निवासी नगला श्री थाना सैफई जनपद इटावा।**
6. **बब्लू पुत्र भूरे सिह निवासी नगला श्री थाना सैफई जनपद इटावा ।**

2. थाना कोतवाली

थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-136/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय एसीजेएम इटावा द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधीः-

1. पारस तिवारी पुत्र हरिओम तिवारी निवासी बजरिया छैराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा।